


**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

क्रमांक: जविप्रा/स.स./वीपीसी/2009/डी-986

दिनांक: 10/7/09

**कार्यवाही विवरण**


विषय- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 80 वीं बैठक दिनांक 09.07.2009 को प्रातः 11:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट--"1" पर है।

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	80.1	वीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 79 वीं बैठक दिनांक 05.06.2009 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा।	वीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 79 वीं बैठक दिनांक 05.06.2009 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा संख्या 79.11 में यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को सामने के सैटबैक में से स्विमिंग पूल का चैन्ज रूम, पैनल रूम टॉयलेट ब्लॉक हटवाने व राशि जमा कराने हेतु एक माह का समय देते हुए स्मरण पत्र जारी किया जावे उसके पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावे, शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं क्रियान्विती समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	-
2.	80.2	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या बी-37, बी-38, व बी-39, योजना 10-बी, गोपालपुरा बाईपास जयपुर के व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विद्यारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि फ्रन्ट सैटबैक में प्रस्तावित पजल्ल पार्किंग हटवाने हुए संशोधित मानचित्र लिये जावे। विचार विमर्श दौरान उपायुक्त जोन द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि यह प्रकरण राज्य सरकार को 6 माह के प्रकरणों के अन्तर्गत भिजवाया गया है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण को रथगित रखा जावे।	
3.	80.3	खसरा संख्या 2633/2, ग्राम नोदड पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विद्यारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प में कॅनोपी का निर्माण टेम्पररी स्ट्रक्चर की श्रेणी में नहीं आता है। अतः प्रार्थी द्वारा किये गये निवेदन को निरस्त किया गया।	
4.	80.4	खसरा नम्बर 254/611 (पार्ट) ग्राम हाथोज कालवाड रोड, जयपुर में रिटेल आउटलेट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विद्यारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ रिटेल आउटलेट के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया- 	

			<p>1. प्रस्तावित ऑफिस ब्लॉक में 3.0-3.0 मीटर का सैटबैक रखा जाये।</p> <p>2. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त अनापत्ति, एक्सपॉलिशिव विभाग फरीदाबाद से प्राप्त अनापत्ति एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से प्राप्त अनापत्ति की शर्तों की पालना की जानी होगी।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जायेंगे।</p>
5.	80.5	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 20 से 22 व 42 से 45 कुल क्षेत्रफल 1499.85 वर्ग मीटर, कल्याण कोलोनी, मालवीय नगर, जयपुर के पैरामीटर्स निर्धारित किये जाने बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया कि उक्त प्रकरण का अनुमोदन राज्य सरकार से 1.10.2008 को प्राप्त हुआ है। इसलिए यह प्रकरण गत 6 माह के प्रकरणों में सम्मिलित है अथवा नहीं? इसका जोन द्वारा परीक्षण किया जावे।
6.	80.6	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 86 से 89 व 101 से 104 कुल क्षेत्रफल 2550.46 वर्ग मीटर, कल्याण कोलोनी, मालवीय नगर, जयपुर के पैरामीटर्स निर्धारित किये जाने बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया कि उक्त प्रकरण का अनुमोदन राज्य सरकार से 16.10.2008 को प्राप्त हुआ है। इसलिए यह प्रकरण गत 6 माह के प्रकरणों में सम्मिलित है अथवा नहीं? इसका जोन द्वारा परीक्षण किया जावे।
आयुक्त महादय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओं पर भी विचार किया गया।			
7.	80.7	खसरा नम्बर 655, ग्राम गोलवा तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित कॉलेज के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ प्रस्तावित कॉलेज के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. स्टिल्ट पलोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित किया जाना होगा।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जायेंगे।</p>
8.	80.8.	भूखण्ड संख्या 2, जगतपुरा बाईपास रोड, जयपुर में 'गोल्डसूक' व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के अधिवास प्रमाण पत्र के संबंध में।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. लोअर बेसमेंट में निर्मित वाटरटैंक के ऊपर निर्मित अपर बेसमेंट निर्माण को मिट्टी से</p>

- भरवा कर प्रवर्तन शाखा को सूचित करें।  
प्रवर्तन शाखा द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे  
कि उक्त स्थान मिट्टी से भर गया है।
2. सामने व पार्श्व सैटबैंक में एचटी पैनल रूम,  
एच.टी. ट्रान्सफार्मर व मीटर रूम माँके पर से  
हटवाया जावे।
  3. पर्यावरण के नोटिफिकेशन को जांच कर यह  
सुनिश्चित किया जावे कि यह अ.देश पूर्व  
अनुमोदित प्रकरणों पर लागू है अथवा नहीं?  
उपरोक्त शर्तों की पालना किये जाने के उपरान्त  
प्रकरण को पुनः बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


  
सदस्य सचिव  
भवन मानवचक्र समिति(दीपी),  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की ६० वीं बैठक दिनांक ०९.०७.२००९ को प्रातः ११.०० बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में निम्न कक्षा में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी:-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. श्री सुधाश पंत, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।                               | अध्यक्ष    |
| 2. श्री ललित कुमार गुप्ता, सचिव, जविप्रा, जयपुर।                         | सदस्य      |
| 3. श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।                  | सदस्य      |
| 4. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।                | सदस्य      |
| 5. श्री नारायण लाल भीषा, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।            | सदस्य      |
| 6. श्री आर. कं. पारीक अति. आयुक्त (एलपीसी), जविप्रा, जयपुर।              | सदस्य      |
| 7. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं बीआरटीएस), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य      |
| 8. श्रीमति जवग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।         | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित :-

1. श्री हनुमान मल ढांका, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री पुरुषोत्तम शर्मा उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री अनन्त देव टांक, उपायुक्त जोन-1, जविप्रा, जयपुर।


  
सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2009/डी-986

दिनांक : 10/7/09

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन-\_\_\_\_\_ जविप्रा जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

  
सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (बीपी)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।